न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौडगढ

पीठासीन अधिकारी–हरिसिंह मीना (आर ए एस)

प्रकरण संख्या – डिक्री 41 सन् 2016
पंजीयन दिनांक 0302.2016

1. श्रीमती भगवानी पुत्री बरदा उर्फ बरदीचन्द जाति जाट निवासी सुदरी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलांट

विरूद्व

1. बरदा उर्फ बरदीचन्द मुत्तबन्ना रामा –मृतक
2. हीरालाल पिता बरदा उर्फ बरदीचन्द जाति जाट निवासी सुदरी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
3. साधु पिता बरदा उर्फ बरदीचन्द जाति जाट निवासी सुदरी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
4. जगन्नाथ पिता बरदा उर्फ बरदीचन्द जाति जाट निवासी सुदरी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ
5. नारू पिता लुम्बा उर्फ लोभा जाति जाट निवासी सुदरी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
6. गिरधारी पिता हजारी जाति जाट निवासी सुदरी तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़
7. छोगा पिता वेणा–मृतक के बजाय
   1. शंकर पिता छोगा--मृतक के बजाय
      1. गीता पत्नि शंकरलाल जाति जाट निवासी लक्ष्मीपुरा जिला भीलवाडा
      2. नारायण पिता शंकरलाल जाति जाट निवासी लक्ष्मीपुरा जिला भीलवाडा
      3. मुकेश पिता शंकरलाल जाति जाट निवासी लक्ष्मीपुरा जिला भीलवाडा
      4. गोरिया उर्फ गौरी पिता शंकरलाल जाति जाट निवासी लक्ष्मीपुरा जिला भीलवाडा
      5. भुरी पिता शंकरलाल जाति जाट निवासी लक्ष्मीपुरा जिला भीलवाडा
   2. देवीलाल पिता छोगा जाति जाट–मृतक के बजाय
      1. चांदी पत्नि देवीलाल जाति जाट निवासी लक्ष्मीपुरा जिला भीलवाडा
      2. कमला पिता देवीलाल जाति जाट निवासी लक्ष्मीपुरा जिला भीलवाडा
8. भूमिधारी तहसीलदार गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ

–रेस्पोडेन्ट्गण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व
निर्णय एवं डिक्री न्यायालय
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गंगरार
प्रकरण संख्या 82/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2015

उपस्थित– 1. चम्पालाल जाट –अधिवक्ता अपीलान्ट
2. रेस्पोडेन्ट्गण 2 से 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. पूनमल स्वर्णकार–राजकीय अभिभाषक–रेस्पो.सं. 8

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़

निर्णय **दिनांक 08.06.2022**

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट वादिया रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा सुदरी तहसील गंगरार की खाता सं. 180 मे दर्ज आराजी नम्बर 1883 रकबा 1.23 हैक्टेयर खाता सं. 183 मे दर्ज आराजी नम्बर 352, 415 मीन किता 2 रकबा 3.07 हैक्टेयर खाता सं. 184 मे दर्ज आराजी नम्बर 108,1176,1501,1879,1880,1881,1882 कुल किता 7 रकबा 3.48 हैक्टेयर व खाता सं. 185 मे दर्ज आराजी नम्बर 31, 31/1932, 34, 35, 36, 42, 54, 113,114,133,612,613,614,617,1177 कुल किता 15 कुल रकबा 4.84 हैक्टेयर के सम्बन्ध मे अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वर्णित कृषि आराजीयात अपीलान्ट वादिया व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 प्रतिवादीगण के संयुक्त हिस्सेदारी व संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक अविभाजित सम्पत्ति है। उक्त कृषि आराजीयात रेस्पोडेन्ट सं. 1 की स्वअर्जित नही होकर पैतक कृषि आराजीयात है। अपीलान्ट के दादा लोबा उर्फ लुम्बा व रसाजी के समय चली आ रही है। उक्त आराजीयात पूर्व मे अपीलान्ट के दादा के नाम पर दर्ज थी जो जरिये विरासत से अपीलान्ट वादिया के पिता रेस्पोडेन्ट सं. 1 नाम दर्ज हुई। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के नाम दर्ज आराजीयात पैतृक कृषि आराजीयात है जिसमे रेस्पोडेन्ट सं. 1 के साथ-साथ अपीलान्ट वादिया का 1/5 हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं.1 के हिस्से मे जन्म से ही निहित है। इसी प्रकार अपीलान्ट वादिया के कब्जे काश्त मे है। राजस्व रेकार्ड मे अपीलान्ट वादिया का नाम दर्ज नही होने से रेस्पोडेन्ट सं.1 ने उक्त पैतृक कृषि आराजीयात मे से अपीलान्ट वादिया के निहित हिस्से सहित सम्पूर्ण हिस्सा रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,4 को जरिये कथाकथित दानपत्र स्थानान्तरण कर दिया। जिसका दानपत्र रेस्पोडेन्ट सं.1 ने रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,4 के पक्ष मे निष्पादित करा उप-पंजीयक गंगरार के कार्यालय मे पंजीबद्ध करवा दिया। ऐसा दानपत्र अपीलान्ट वादिया के हक व अधिकारो के मुकाबले प्रभावशून्य है। पैतृक कृषि आराजीयात अपीलान्ट का भी हक व हिस्सा जन्म से ही निहित है। जिससे अपीलान्ट वादिया के निहित हक व हिस्से को खुर्द-बुर्द करने का अधिकार रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 1 को अकेले को नही था, फिर भी रेस्पोडेन्ट सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 ने अपीलान्ट वादिया के हक व अधिकारो पर कुठाराघात करते हुए रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी सं. 2,3,4 को अपीलान्ट वादिया के हिस्से सहित कृषि आराजीयात हस्तान्तरण कर दी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 को केवल अपना 1/5 हिस्सा ही हस्तान्तरित करने का अधिकार था। अपने हिस्से से अधिक कृषि आराजीयात हस्तान्तरण करने का रेस्पोडेन्ट सं. 1 को कोई अधिकार नही था। रेस्पोडेन्ट सं. 2,3,4 को भी अपीलान्ट वादिया के निहित हक हिस्से की कृषि आराजीयात लेने का कोई अधिकार नही है। वादपत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित कृषि आराजीयात पैतृक सम्पत्ति होने से व अपीलान्ट वादिया का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के तहत जन्म से ही पैतृक कृषि आराजीयात मे अपना हक व अधिकार निहित होने से वादपत्र की चरण सं. 2 मे वर्णित कृषि आराजीयात अपीलान्ट वादिया का 1/5 हिस्सा घोषित कराये जाने की अधिकारी है। इसी अनुसार स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी है।

उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस पर

रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए व प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी वादपत्र अबेटमेन्ट मे निरस्त करने का प्रस्तुत किया, जिसकी नकल अपीलान्ट वादिया को दिलाई गई। दिनांक 22.12.2015 को अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 का जवाब प्रस्तुत किया गया। जिसकी नकल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण को दिलाई गई व पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना पत्र दिनांक 23.12.2015 को नियत की गई। उभयपक्षकारान की बहस सुनी जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 जाप्ता दिवानी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत वादपत्र निरस्त किये जाने का निर्णय व आदेश पारित किया गया।

अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्ट वादिया ने इस न्यायालय मे प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। जो इस न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट वादिया ने अपील मे वर्णित तथ्यो को पुनः दोहराते हुए बहस मे निवेदन किया कि अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे अपीलान्ट वादिया की ओर से वादपत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण 1 से 4 की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत नही किया जाकर आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र मे प्रतिवादी सं. 7/1 व 7/2 छोगालाल के वारिसान शंकरलाल, देवीलाल को पक्षकार बनाकर वादपत्र प्रस्तुत किया है। जबकि शंकरलाल, देवीलाल का वादपत्र के पूर्व ही स्वर्गवास हो चुका है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को होते हुए मृतक के विरुद्ध वादपत्र प्रस्तुत किया है जिसे निरस्त किया जावे। अपीलान्ट वादिया की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के जवाब मे आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दिवानी का आवेदन प्रस्तुत कर मृतक शंकरलाल,देवीलाल के वारिसान को रेकार्ड पर लिये जाने का आवेदन किया। यह भी निवेदन किया कि मृतक शंकरलाल,देवीलाल भीलवाडा मे निवासरत है जबकि अपीलान्ट वादिया व रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 मौजा सुदरी तहसील गंगरार मे निवासरत है जिससे शंकरलाल,देवीलाल की मृत्यु की जानकारी अपीलान्ट वादिया को नही थी। तत्पश्चात् प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्टगण ने आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दिवानी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया। तत्पश्चात् उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दिवानी जो पत्रावली मे संलग्न है। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब का रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 22.12.2015 को प्रस्तुत किया गया था पर निर्णय नही करते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 से 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 जाप्ता दिवानी स्वीकार कर अपीलान्ट वादिया का वादपत्र निरस्त किया है। आदेश 22 नियम 9 जाप्ता दिवानी वादपत्र मे वहां लागू होता है जहां दोराने वाद किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है व निर्धारित अवधि के अन्दर वादी कायम मुकाम की कार्यवाही कराने मे असफल रहता है। प्रतिवादी सं. 7/1 व 7/2 के मृत्यु की जानकारी होते ही अपीलान्ट वादिया ने आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दिवानी का प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र मे हुए विलम्ब को क्षम्य किये जाने हेतु धारा 5 कानून म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसका निस्तारण किये

पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने वादपत्र अबेट हो जाना मानते हुए निरस्त किये जाने निर्णय व डिक्री पारित की है जिससे अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है। अपीलान्ट वादिया की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 23.12.2015 निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 8 ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधिपूर्ण होना बताते हुए अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील को निरस्त करने का निवेदन किया।

हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओ की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अपीलान्ट वादिया ने अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय मे पैतृक कृषि आराजीयात मे घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया जिसमे रेस्पोडेन्टगण प्रतिवादीगण 1 से 4 की ओर से जवाबदावा नही दिया जाकर दिनांक 18.12.2015 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी प्रस्तुत किया जिसका अपीलान्ट वादिया की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र नही दिया जाकर अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी मय प्रार्थना पत्र धारा 5 कानून म्याद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रार्थना पत्र को रेस्पोडेन्ट सं.1 से 4 प्रतिवादीगण की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 का जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण तामील मे नियत था जिसमे 7/1, 7/2 शंकरलाल व देवीलाल तामील नही हुई थी। बिना तामील के मृतक मानते हुए प्रार्थना पत्र को अनिर्णित रखते हुए रेस्पोडेन्ट सं. 1 से प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 9 सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट वादिया का वादपत्र अबेटमेन्ट मे निरस्त किये जाने की निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो विधिनुसार नही होने से अपीलान्ट वादिया की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

फलस्वरूप अपील अपीलान्ट वादिया स्वीकार की जाकर अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी गंगरार प्रकरण संख्या 82/2015 निर्णय व डिक्री दिनांक 23.12.2015 निरस्त की जाकर पत्रावली अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय को इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि पत्रावली मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दिवानी व जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 जाप्ता दिवानी पर निर्णय पारित कर पक्षकारान की तामील करवाई जाकर उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 08.06.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। अधीनस्थ विद्धवान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय व आदेश की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लोटायी जावे।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(हरिसिंह मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ